**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

**(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 85/2018** **दायरा दिनांक : 18.06.2018**

**उनवान**

1– कचरू सिंह पिता उदे सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– नारायण पिता मांगू सिंह, जाति राजपूत, निवासी कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– रोड़ सिंह पिता एमान सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

**बनाम**

1– भैरूसिंह पिता गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– शिव सिंह पिता गुमान सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 16.11.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 222/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपील इस सम्बन्ध में पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा दिनांक 19.02.2018 को बिना अपीलांट की सुनवायी किये एक तरफा पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कीटिया पटवार क्षेत्र कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ जमाबंदी संख्या 632 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में यह दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण चौहार एक ही परिवार के सदस्य हैं । वादग्रस्त भूमि बीड़ है जिसमें से 1/2 हिस्सा हकत है तथा शेष 1/2 हिस्सा पड़त मगरा है । जिसमें वादीगण व प्रतिवादी के मवेशी चरते हैं । वादग्रस्त भूमि रियासत समय से ही चौहार समस्त के नाम से दर्ज है । जिसमें टीनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होने से पूर्व से वर्तमान तक वादीगण व प्रतिवादीगण कब्जा है एवं उनके पूर्वज काबिज काश्त रहे हैं । वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण खातेदार कृषक हैं और खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने वादीगण के हित हिस्से की 1/2 भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तथा वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने से इंकार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ । अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में समस्त चौहार के बजाया 1/2 हिस्सा वादीगण और 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित फरमाया जाये । प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल कर वादीगण को जमीन का कब्जा दिलवाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वादीगण की उपस्थित दर्ज

नहीं है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई है जिसमें खसरा नम्बर 280 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हकत है एवं शेष भूमि पड़त है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपीलांट को पुनः पूर्ववत खातेदार घोषित किया जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कीटिया पटवार क्षेत्र कीटिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ जमाबंदी संख्या 632 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में यह दावा पेश किया है । प्रतिवादीगण ने उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया है । उक्त वादग्रस्त आराजी से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खातेदार घोषित कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी ने अपने दावे को अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाया है। अपील में जवाबदावा लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया एवं दस्तावेजात का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न खसरा गिरदावरी सम्वत 2053–56, सम्वत 2057–59, एवं सम्वत 2049–52 में कृषि खातेदार की प्रविष्टि में समस्त चौहान साकिन देह खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार मण्डल कीटिया दिनांक 13.05.2017 की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 80 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में खातेदार समस्त चौहान साकिन देह के नाम दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त दर्शाया गया है एवं शेष 11 बीघा भूमि पड़त दिखायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का आपस में क्या सम्बन्ध है । किस आधार पर रेस्पोडेंट 1/2 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है । तहसीलदार की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं प्राप्त की गई है । वर्तमान में जमाबंदी में समस्त चौहान साकिन देह दर्ज है । समस्त चौहान कौन है स्पष्ट नहीं है । क्या वादीगण और प्रतिवादीगण की यह आराजी पुश्तैनी है उपरोक्त समस्त प्रकार के तथ्य की पूर्ण जांच इत्यादि नहीं की गई है एवं किस आधार पर प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । यह स्पष्ट नहीं है । इस प्रकार से

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दस्तावेजों व साक्ष्यों की गहन जांच पड़ताल के बिना पारित किया गया निर्णय है जो अपास्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा